न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद।

उपस्थितः **नीरज कुमार** .....H.J.S **(UP 1907)**

CNR No.-UPFR010021432026

फौजदारी निगरानी सं०– 72/2026

मेसर्स श्री ट्रेडर्स प्रोपराइटर सिमरन मिश्रा पुत्री सुशील कुमार निवासी सा.17/128 पी.वी.एस. गणपत नगर पहाडिया जिला बनारस।

----------निगरानीकर्ता

बनाम

1– उ०प्र० राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) जनपद फर्रुखाबाद।
2– मेसर्स सुशील कुमार गुप्ता प्रोपराइटर सुशील कुमार गुप्ता पुत्र ओमप्रकाश गुप्ता निवासी मो० बहादुरगंज थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रुखाबाद।

-------उत्तरदातागण

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, प्रकीर्ण वाद संख्या 3460/2021 मेसर्स सुशील कुमार गुप्ता बनाम मेसर्स श्री ट्रेडर्स प्रो० सिमरन में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 12.11.2025 से क्षुब्ध होकर दाखिल की गयी है, जिसके द्वारा निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 465 व 251 दं.प्र.सं. निरस्त किया गया।

2. संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी/उत्तरदाता संख्या–2 द्वारा निगरानीकर्ता के विरुद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष 138 एन.आई. एक्ट के अन्तर्गत एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि परिवादी शॉप नं० 9 बी, नवीन आलू मण्डी स्थल सातनपुर में अपनी फर्म के माध्यम से आलू का थोक व्यवसाय तथा कमीशन एजेन्ट का काम करता है। विपक्षी अपनी उक्त दोनों फर्म के प्रोपराइटर पार्टनर हैं तथा आपस में पति पत्नी हैं तथा विपक्षीगण दोनों फर्मों के माध्यम से आलू आदि की आढ़त तथा कमीशन एजेन्ट का काम करते हैं। विपक्षीगण द्वारा परिवादी की फर्म से आलू खरीदकर उनकी फर्म बनारस में ट्रक द्वारा आलू भेजने के लिए परिवादी से कहा गया एवं विपक्षीगण द्वारा यह भी कहा गया कि वे आलू विक्रय हो जाने के बाद कमीशन काटकर आलू की समस्त धनराशि अपनी फर्मों की चेकों के माध्यम से तुरन्त भुगतान कर दिया जायेगा जिस पर परिवादी सहमत हो गया और विपक्षीगण ने अपनी फर्म की चेकों से परिवादी का भुगतान कर दिया और परिवादी का विश्वास विपक्षीगण पर बढ गया। परिवादी द्वारा अपनी फर्म से कृषि उत्पादन मण्डी फर्रुखाबाद के प्रपत्र संख्या 09 के क्रम में भिन्न–भिन्न क्रम संख्या व तिथियों में अलग–अलग धनराशि का में कुल धनराशि मु० 16,53,510/– लाख रुपये का माल नियमानुसार विपक्षीगण को भेजा। विपक्षीगणों ने माल विक्रय करने के उपरान्त परिवादी को उसकी फर्म के नाम, बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पहारिया जनपद बाराणसी की चेंक संख्या क्रमशः 045955 दिनांक 09–02–2021 मु०

Digitally signed by NEERAJ KUMAR
Date: 2026.08.04 16:47:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

1,00,000/– रूपया तथा 045956 दिनांक 09.02.2021 मु० 1,00,000/– रूपया तथा 045957 दिनांक 22.04.2021 मु० 1,00,000/– रूपया तथा 045958 दिनांक 22.04.2021 मु० 1,00,000/– रूपया तथा 045959 दिनांक 22.04.2021 मु० 1,00,000/– रूपया तथा 045960 दिनांक 22.04.2021 मु० 1,00,000/– रूपया कुल मिलाकर धनराशि 6,00,000/– रुपया(छः लाख रूपया) की चेंकें दी, जो परिवादी ने अपने बैंक खाते आई०सी०आई०सी०आई, शाखा फर्रुखाबाद जनपद फर्रुखाबाद में जमा कर दी, लेकिन विपक्षीगण के खाते में रूपया न होने होने के कारण चेंकों का बिना भुगतान किये दिनांक 23.04.2021 को वापस कर दी गई, जिसकी सूचना विपक्षीगण को मोबाइल के माध्यम से दी गई। दिनांक 30.04.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस दिया जिसे विपक्षीगण द्वारा नहीं लिया गया। जिसकी समयावधि समाप्ति उपरान्त नियमानुसार परिवाद पत्र दाखिल किया गया।

3. दिनांक 29.06.2021 को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा परिवाद दर्ज रजिस्टर किया गया। विद्वान मजिस्ट्रेट ने दिनांक 07.10.2021 को तर्क तलबी पर सुनने के उपरान्त निगरानीकर्ता को अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट के तहत विचारण हेतु आहूत किया। अभियुक्त/निगरानीकर्ता की तरफ से विचारण न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिनांकित अंतर्गत धारा 465 व 251 दं.प्र.सं. इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि परिवाद पत्र में नोटिस धारा 138 ख, ग का अनुपालन नहीं किया है जिसमें भुगतान करने का समय सीमा निर्धारित की जाती है क्योंकि वाद कारण नोटिस में दिये गये समय के अवसान के पश्चात उत्पन्न होता है गुजरात टूर एण्ड ट्रेवल्स बनाम अनूप गुलाटी ए०आई०आर० 2010 में भी वाद कारण उत्पन्न होने के सम्बन्ध में अवधारित किया गया है। वाद कारण की तिथि अंकित नहीं है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा राजीव कुमार बनाम राज्य उत्तर प्रदेश 1991 (28) ए०सी०सी० 353 में व्यवस्था अवधारित की गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा तामीशवर वैष्णव बनाम रामविशाल A.L.R 2010 में अवधारित किया गया है। पत्रावली दिनांक 30.04.2022 को वास्ते आरोप विरचित हेतु नियत कर दी गयी थी। उक्त पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित दिनांक 22.12.2022 किया तथा परिवादी की ओर से 143 ए का प्रार्थना पत्र भी उपरोक्त तिथि पर प्रस्तुत किया गया। परिवाद की सुनवाई धारा 143 एन.आई.एक्ट के अनुसार समनीय प्रक्रिया के आधार पर होगी जिसमें अध्याय 20 द०प्र०सं० के अन्तर्गत धारा 251 सीआर०पी०सी० के अन्तर्गत सुनवाई सुनिश्चित की गयी है समनीय प्रक्रिया के अन्तर्गत आरोप का विरचित होना विधि विरूद्ध है परन्तु उपरोक्त मुकद्दमें में सर्वप्रथम न्यायालय के द्वारा आरोप विरचित किया गया। न्यायालय के द्वारा उपरोक्त मुकद्दमें की सुनवाई का प्रारम्भ पुलिस रिपोर्ट पर आधारित वारण्ट मामले की प्रक्रिया को अपनाया गया अध्याय 19 सीआर.पी.सी. जबकि उपरोक्त परिवाद की प्रक्रिया को समनीय प्रक्रिया के अनुसार अध्याय 20 द०प्र०स० प्रक्रिया अपनाना आवश्यक था। अध्याय 19 ख के अन्तर्गत रिपोर्ट से भिन्न आधार पर सस्थित मामलें (परिवाद) में अभियुक्त के हाजिर हो जानें के पश्चात् अभियोजन साक्ष्य अं०धारा 244 सीआर.पी.सी. के अन्तर्गत साक्ष्य कराई जाती है परन्तु उपरोक्त मामला समनीय विचारण होने के कारण अध्याय 20 के अतर्गत आता है। अध्याय 20 के अन्तर्गत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी

गयी है कि 313 सीआर.पी.सी. के पश्चात सफाई साक्ष्य ग्रहण की जा सके, अनुरोध किया कि मुकदमे की प्रक्रिया विधि विरुद्ध होने कारण निरस्त करते हुए पुनः अध्याय 20 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत सुनवाई की जाए।

4. अभियुक्त/निगरानीकर्ता के उक्त प्रार्थनापत्र को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 12.11.2025 को निरस्त कर दिया गया, जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता/अभियुक्त द्वारा यह निगरानी संस्थित की गयी।

5. निगरानी में, उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

6. निगरानी में आधार व तर्क लिये गये हैं कि आलोच्य आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत है कि धारा 138 एन०आई० एक्ट के अन्तर्गत परिवाद की कार्यवाही सम्मन प्रकिया के अन्तर्गत होने का प्रावधान धारा 143 एन०आई० एक्ट में उल्लिखित है। समन प्रकिया की कार्यवाही हेतु अध्याय 20 की धारा 251 सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है जिसके अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित नहीं किया जायेगा वल्कि बयान मुल्जिम द्वारा अभियुक्त से दोषी होना स्वीकार करने अथवा प्रतिरक्षा करने हेतु प्रश्नों को पूछा जायेगा परन्तु वाध्यकारी प्रावधान के विपरीत अभियुक्त/निगरानीकर्ता के विरूद्ध आरोप विरचित कर विधिक त्रुटि की गयी है। प्रकीर्ण वाद में पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मुकदमों के समान अध्याय 19 सी०आर०पी०सी० में वर्णित प्रक्रिया के आधार पर त्रुटिपूर्ण कार्यवाही संचालित की गयी जबकि प्रश्नगत वाद में अध्याय 20 सी०आर०पी०सी० के अधीन सम्मनीय प्रक्रिया का पालन न कर विधिक प्रावधानों के विपरीत वाद कार्यवाही संचालित की गयी जिस कारण प्रश्नगत आदेश निरस्त होने योग्य है। प्रश्नगत वाद की कार्यवाही वारण्ट केस की प्रक्रिया के अधीन न होने के कारण अध्याय 19 सी०आर०पी०सी० के खण्ड ख के प्रावधान लागू नहीं होते हैं जबकि विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य हेतु 244 सी०आर०पी०सी० आदि प्रावधानों की त्रुटिपूर्ण व मनमानी प्रक्रिया अपनायी गयी जिस कारण प्रश्नगत आदेश निरस्त होने योग्य है। प्रश्नगत प्रकीर्ण वाद धारा 138 एन०आई० एक्ट में सम्पूर्ण कार्यवाही अध्याय 20 सी०आर०पी०सी० में वर्णित सम्मन मामलों में अपनायी जाने वाली प्रकिया के अनुसार न कर वारण्ट केस की प्रकिया के प्रावधानों के अनुसार धारा 244, 245, 313 सी०आर०पी०सी० आदि की त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया को अपनाकर विधि विरुद्ध कार्यवाही की गयी है, अनुरोध किया कि निगरानी स्वीकार की जाये।

7. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता एवं जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क रखा गया कि आलोच्य आदेश विधिनुसार है एवं अनुरोध किया कि निगरानी खण्डित की जाये।

8. उभयपक्ष के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत मामले में दिनांक 07.10.2021 को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा निगरानीकर्ता को धारा 138 एन० आई०एक्ट के तहत विचारण हेतु आहूत किया गया था। तत्पश्चात निगरानीकर्ता द्वारा अपनी जमानत विचारण न्यायालय से करायी गयी। दिनांक 22.12.2022 को बयान अभियुक्त धारा 251 द०प्र०सं० में अंकित किया गया तथा दिनांक 31.10.2023 को बयान धारा 313

द०प्र०सं० के अंतर्गत अंकित किया गया। तदोपरान्त निगरानीकर्ता गैरहाजिर हो गयी जिसके अनुक्रम में विचारण न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध गैर जमानतीय आदेशिकाएं निर्गत की गयी। निगरानीकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित न होने के क्रम में एन०बी०डब्लू०व एन०एस० निर्गत किए गए, तदोपरान्त दिनांक 21.07.2025 को अभियुक्त/निगरानीकर्ता को फरार घोषित किया गया और उसके विरुद्ध एन०डब्लू० व 82/83 सीआरपीसी की आदेशिकाएं जारी की गयी। दिनांक 12.11.2025 को अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत प्रा०पत्र के माध्यम से पुनः अध्याय 20 सीआरपीसी के अंतर्गत सुनवाई करने का अनुरोध किया गया, जिसको विद्वान मजिस्ट्रेट ने यह उल्लिखित करते हुए निरस्त कर दिया कि अभियुक्त का बयान मुल्जिम दिनांक 22.12.2022 को अंकित किया गया था। निगरानीकर्ता विचारण न्यायालय के समक्ष जानबूझकर स्वयं उपस्थित नहीं हो रही है, अभियुक्त/निगरानीकर्ता को फरार घोषित किया जा चुका है और उसके विरुद्ध कुर्की की कार्यवाई जारी है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा यदि कोई प्रक्रियात्मक त्रुति कारित की गयी है, तो निगरानीकर्ता को चाहिए कि विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे। तलबिदा पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित हुआ कि दिनांक 05.12.2025 को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वर्तमान में अभियुक्त के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होने पर, अभियुक्त के विरुद्ध जारी शाश्वत गैर जमानतीय अधिपत्र पुलिस अधीक्षक फतेहगढ को प्रेषित करते हुए, पत्रावली पर इस स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर, पत्रावली को नियमानुसार अभिलेखागार पारेषित किया गया है। चूंकि उपरोक्तानुसार वर्तमान में उक्त मामले की परिवाद पत्रावली को दाखिल दफ्तर कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में यह आपराधिक निगरानी निष्प्रयोज्य भी हो गयी है, तदनुसार बलहीन व निष्प्रयोज्य होने के कारण निगरानी खण्डित होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दाण्डिक निगरानी खण्डित की जाती है।

अभिलेख नियमानुसार संबंधित न्यायालय को अविलंब वापस प्रेषित किया जाए।

दिनांकः 04.08.2026

(नीरज कुमार)
आई०डी०नं०यू०पी० 1907
सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद

आज निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांकः 04.08.2026

(नीरज कुमार)
आई०डी०नं०यू०पी० 1907
सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद